न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 76 / 2015 अपील
पंजीयन दिनांक– 06–08–2015
निर्णय दिनांक – 26–12–2017

1. श्री शंकर पिता क़िशना जी गायरी, निवासी मेरों का गुड़ा, तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मांगी बाई पत्नी रुपलाल जी डांगी निवासी सुखेर तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज.)

–अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्

उपस्थित–
1– श्री खेमराज डांगी – अधिवक्ता अपीलान्ट
2– श्री योगेन्द्र दशोरा – राज्य अभिभाषक

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर, दिनांक 17.11.2014 प्रकरण संख्या 189 / 2013 प्रा0प.

निर्णय

निर्णय दिनांक 26.12.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–75 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर, दिनांक 17.11.2014 प्रकरण संख्या 189 / 2013 प्रा0प के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अम्बेरी की साबिक आराजी नं. 1 बिघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है तथा सेटलमेन्ट में उक्त भूमि के हाल नम्बर 892 रकबा 0.2600 है0 राजस्व रेकर्ड में सरकार रा0मा0 शब्द का अंकन होकर अपीलान्ट संख्या 1 शंकर पिता किशना गाडरी सा0 देह के नाम अभिलिखित है। शंकर पिता किशना जी

गायरी, निवासी मेरो का गुड़ा ने प्रश्नगत भूमि रेस्पों. संख्या–2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की गई। श्री शंकर पिता किशना जी ने उप जिला कलक्टर गिर्वा के न्यायालय में धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया। न्यायालय उपजिला कलक्टर गिर्वा ने निर्णय दिनांक 23/27.01.2009 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की प्रथम अपील न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर के न्यायालय में पेश की गई। न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने दिनांक 08.12.2010 को अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखें जाने का निर्णय पारित किया गया। उक्त आदेश की द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान अजमेर में पेश की गई। न्यायालय राजस्व मण्ड़ल राज. अजमेर ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त कर परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि वे संबंधित तहसीलदार से इस प्रकरण में राजस्व अभिलेखों के संबंध में पूर्ण रिपोर्ट मंगवा कर प्रकरण नये सिरे से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें तथा यह भी देखा जाये कि विक्रेता प्रश्नगत भूमि के खातेदार थे अथवा नहीं। यदि उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि का बेचान विधि सम्मत तरीके से किया गया है तो अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि में दर्ज खातेदारी में से ''राजकीय माफी'' शब्द हटाये जाने पर विचार किया जावे। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर ने प्रकरण पुनः दर्ज कर राजकीय भूमि मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज कर वर्तमान जमाबंदी से कृषक का नाम हटाने का आदेश दिनांक 17.11. 2014 पारित कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख मंगाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील पक्षकारान की बहस दिनांक 12.12.2017 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अपीलान्ट्स के खातेदारी एवं आधिपत्य की कयशुदा आराजी जिसके साबिक आराजी नं. 698 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रथम सेटलमेन्ट की जमाबन्दी महकमा बन्दोवस्त मेवाड़ सम्वत 1987 खाता नम्बरा 148 पर सरकार रा.मा. से इन्द्राज की, जिस पर कालूलाल वल्द मयाचन्द महाजन एवं सोहनलाल, धूलचन्द एवं केसी बाई बेवा उदयचन्द निवासी मेरों का गुड़ा मूर्तहीन बिल कब्ज खड़मभोग की हैसियत से काश्तकार थे। माफी रिजम्शन के दौरान खडम भोगधारियों के विधिक वारिसान टेकचन्द पिता मोडीलाल, भगवतीलाल पिता वरदीचन्द जी चोरड़िया, चांदमल पिता लक्ष्मीचन्द जी बडाला, निवासी भुवाणा, किशनलाल पिता जोधराज जी रांका, निवासी लवानिया खडमदार हो

गये। इनके द्वारा वादग्रस्त आराजी पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 05.04.1965 से अपीलान्ट नम्बर 1 शंकर को विक्रय कर दी जिस पर अपीलान्ट संख्या 1 का कब्जा चला आ रहा था व काश्त करता रहा है। उपरोक्त साबिक आराजी के हाल नम्बर 892 रकबा 0.2600 है0 भूमि सम्वत् 2042 , 2045 से 2048 , 2049–2052 सरकार रा. मा. शंकर पिता किशना गायरी के नाम दर्ज होने से अपीलान्ट संख्या 1 ने उक्त भूमि जरिय पंजीकृत विक्रय पत्र से अपीलान्ट संख्या 2 को विक्रय कर दी गई। तब से उक्त भूमि पर अपीलान्ट संख्या 2 का कब्जा चला आ रहा है। प्रकरण राजस्व मण्ड़ल राजस्थंन अजमेर के न्यायालय से निर्णित होकर परीक्षण न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे संबंधित तहसीलदार से इस प्रकरण में राजस्व अभिलेखों के संबंध में पूर्ण रिपोर्ट मंगवा कर प्रकरण नये सिरे से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें तथा यह भी देखा जाये कि विक्रेता प्रश्नगत भूमि के खातेदार थे अथवा नहीं। यदि उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि का बेचान विधि सम्मत तरीके से किया गया है तो अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि में दर्ज खातेदारी में से **"राजकीय माफी"** शब्द हटाये जाने पर विचार किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट्स व उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होते हुए भी अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज कर बिना सूने ही निर्णय पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में सरकार के आदेश 1991 के परिपत्र के आधार पर अपीलान्ट्स का नाम हटाने का आदेश किया जो गलत है। परिपत्र के तहत अपीलान्ट्स का नाम हटाने का अधिकार नहीं है। परिपत्र में खातेदार का नाम हटाने का उल्लेख नहीं है बल्कि मन्दिर मूर्ति की आराजीयात जो पुजारियों के नाम दर्ज कर दी गई है उसके इन्द्राज को हटाने का है। अपीलान्ट्स के विक्रेतागण मन्दिर के पुजारी नहीं है, बल्कि खडमदार थे व खडमदार से खातेदारी में दर्ज किए गये है तथा खडमदार व खातेदार को अपनी खातेदारी की जमीन को विक्रय करने का पूरा हक व अधिकार है। इन्हीं अधिकारों के तहत अपीलान्ट संख्या 1 को विक्रय की है व अपीलान्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट संख्या 2 को विक्रय की है व अपीलान्ट संख्या 2 विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकारों से काबिज है। आगे यह भी कथन किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अधीनस्थ न्यायालय को गलत बताने का कोई अधिकार नहीं है न ही अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाने का अधिकार है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को केवल यह देखना था कि खातेदार अपीलान्ट के साथ रा.मा. शब्द अंकित किया गया है उसे हटाया जावे या नही। धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों में इस तरह नाम हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों को बिना देखे व बिना समझे, बिना अधिकार

के निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्त योग्य है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। जिसका रेस्पो. ने कोई खण्डन नहीं किया गया है अतः धारा 5 मयाद अधिानियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार राजस्व रेकर्ड में खातेदार के नाम के साथ जो रा.मा. शब्द अंकित कर दिया है उसे हटाये जाने का आदेश फरमावें। अपने कथन के समर्थन में 1991 आर.आर.डी.पेज 6, 2000 आर.आर.डी. पेज 570 एवं 1987 आर.आर.डी. पेज 261 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमानुसार है तथा भूमि राजकीय माफी की होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होना जाहिर है। अतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अपीलान्ट्स के खातेदारी एवं आधिपत्य की कयशुदा आराजी जिसके साबिक आराजी नं. 698 रकबा 1 बीधा 3 बिस्वा भूमि प्रथम सेटलमेन्ट की जमाबन्दी महकमा बन्दोवस्त मेवाड़ सम्वत 1987 खाता नम्बरा 148 पर सरकार मा.रा. से इन्द्राज थी। उक्त आराजी के हाल नम्बर 892 रकबा 0.2600 हैक्टयर बने एवं राजस्व अभिलेखों में सरकार रा.मा. शंकर पिता किशना गाडरी सा. देह के खाते दर्ज है। प्रश्नगत आराजी राजकीय माफी खाते की थी एवं खड़मदार या खादिमदार मंदिर मूर्ति का पुजारी मात्र होता है वह मंदिर माफी भूमि का स्वत्वाधारी नहीं होता। राज्य सरकार ने 1991 के परिपत्र में स्पष्ट किया है कि किसी भी पुजारी को माफी की भूमि के हस्तान्तरण के अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में हम सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से उक्त आदेश दिनांक 17.11.2014 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर